

रोज़ा के दो प्रकार हैं:

नफ़ल: जो इस के अतिरिक्त हो

वाजिब अर्थात अनिवार्य: रमज़ान, कफ़ारा और नज़्र -मन्नत- का रोज़ा

सर्वशक्तिमान अल्लाह की इबादत व पूजा की खातिर फज़र -ए- सादिक अर्थात भोर से ले कर सूर्यास्त तक भोजन, पेय तथा संभोग से दूर रहने को, रोज़ा कहा जाता है।

अल-स्याम (रोज़ा) की परिभाषा:

रोज़ा के दो अरकान (स्तंभ) हैं:

2

रोज़ा को तोड़ने वाली चीज़ों से रुक जाना।



रोज़ेदार के लिए रोज़ा की स्थिति में ज़िन्न कार्यों की अनुमति है:

- आवश्यकतानुसार भोजन का स्वाद चखना।
- थूक निगलना
- स्नान करना
- मिस्वाक (दातुन) करना
- सुगंध लगाना
- ठंडक प्राप्त करना

नियत (इरादा)

1

नफ़ल रोज़ा की नीयत:

दिन के किसी भी भाग में इसकी नियत कर लेना सही है, यदि उस समय तक रोज़ा तोड़ने वाला कोई कार्य नहीं किया हो तो, परंतु नियत के समय के बाद से उसको अज़्र व पुण्य मिलेगा।

फ़र्ज़ रोज़ा की नियत:

फ़र्ज़ रोज़ा की नियत रात्रि ही में अर्थात फज़र से पूर्व कर लेना आवश्यक है, यदि कोई महीना के आरंभ में ही समस्त रमज़ान मास का रोज़ा रखने की नियत कर ले तो यह भी काफी होगा, नियत का स्थान हृदय है अतः जुबान से बोल कर इसकी नियत करना बिदअत एवं नवाचार है।

रोज़ा को ख़राब करने वाली चीज़ें:

- 1 जानबूझकर खाने अथवा पीने वाला, जो भूलवश ऐसा करे उसका रोज़ा सही है।
- 2 पत्नी के संग संभोग करना, यदि ऐसा रमज़ान मास के दिन में किया हो और रोज़ा रखना उस पर वाजिब था तो उसपर मुग़ल्लज़ा कफ़ारा वाजिब है, जो इस प्रकार है: एक गुलाम आज़ाद करना, यदि इसकी शक्ति न हो तो दो महीने के लगातार रोज़े रखना, यदि इसमें भी असमर्थ हो तो साठ फ़क़ीर को खाना खिलाना।
- 3 पत्नी के संग अंतरंगता, चुम्बन, आलिंगन अथवा हस्तमैथुन इत्यादि के द्वारा वीर्य स्खलित करना।
- 4 ऐसी वस्तु का उपयोग जो खाने पीने के समान हो, जैसे स्वास्थ्यवर्धक सूई लगवाना, किंतु सूई यदि स्वास्थ्यवर्धक न हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा।
- 5 हिजामा (पछना) के द्वारा रक्त निकलवाना, किंतु यदि थोड़ा सा खून मेडिकल जाँच इत्यादि के लिए निकलवाया जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा।
- 6 जानबूझकर उलटी करना।
- 7 हैज़ (माहवारी) अथवा निफ़ास (प्रसव) का खून निकलना।

रमज़ान का रोज़ा वाजिब व अनिवार्य होने की शर्तें

1 इस्लाम।

2 अक़ल (चेतना)।

3 व्यस्क होना (बालक जब समझदार हो जाए तो उसको रोज़ा रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा एवं उसके अभिभावक उसे रोज़ा रखने का आदेश देंगे)।

4 वतन में होना (यात्री पर रोज़ा वाजिब नहीं है, किंतु यदि उसे कष्ट न हो तो रोज़ा रखना ही बेहतर है -क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किया है, तथा इसमें अपनी ज़िम्मेवारी से भी अतिशीघ्र मुक्त हो जाना है, मुकल्लफ़ (उत्तरदायी) के लिए रमज़ान में रोज़ा रखना सहज भी है, तथा रमज़ान मास में रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत भी उसे प्राप्त हो जाती है-)।

5 स्वस्थ होना।

6 हैज़ (मासिक धर्म) तथा निफ़ास (प्रसवोत्तर रक्तस्राव) से पाक होना।

रोज़ेदार के लिए ह़राम अर्थात वर्जित कार्य:

1- बल्लाम एवं खँखार घोंटना, किंतु इस से रोज़ा नहीं टूटेगा 2- उस व्यक्ति का अपनी पत्नी का चुंबन लेना जिस को स्वयं पर नियंत्रण न हो 3- ज़ूर बोलना (तथा इस से अभिप्राय सभी प्रकार का ह़राम कार्य करना है) 4- अज़ानता (तथा इस से अभिप्राय मूर्खता वाला कार्य करना है) 5- विसाल (अर्थात: निरंतर दो दिन तक रोज़ा न रखे)

रोज़ा में मकरूह अर्थात अप्रिय कार्य:

- 1 कुल्ली करने तथा नाक में पानी डालने में मुबालागा (अतिशयोक्ति) करना।
- 2 बिना किसी आवश्यकता के खाना चखना।